

**पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के प्रबन्धन मण्डल (The Board of Management) के लिए नामित सदस्य**

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2024) के अध्याय-5 में बिन्दु संख्या 28 के उप बिन्दु संख्या 2 (क) से (ज) तक के अनुसार			मनोनीतसदस्य (कार्यकाल)
1.	2(क)	कुलपति- अध्यक्ष	<b>श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी</b>
2.	2(ख)	प्रति-कुलपति	<b>प्रो. मयंक अग्रवाल जी</b>
3.	2(ग)	प्रायोजन निकाय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से नामनिर्दिष्ट 05 (पाँच) विशिष्ट व्यक्ति	<b>डॉ. एन.पी.सिंह आई.ए.एस. (से.नि), कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय शिक्षाबोर्ड, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार।</b>
			<b>डॉ. सुनीलजोशी</b> कुलपति आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
			<b>डॉ. सत्येन्द्र मित्तल,</b> सिविल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुडकी।
			<b>डॉ. यशदेव शास्त्री, ऋतम् कुंज विद्या विहार कॉलोनी, कनखन, हरिद्वार।?</b>
			<b>डॉ. अनुराग वाष्णीय, उपाध्यक्ष</b> पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, हरिद्वार।
4.	2(घ)	प्रमुख सचिव/सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो अपर सचिव स्तर से न्यून न हो	
5.	2(ड)	अध्यक्ष द्वारा चक्रीय आधार पर नामनिर्दिष्ट अधिकतम 03 (तीन) संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक	<b>डॉ. साध्वी देवप्रिया, संकायाध्यक्ष-मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय, पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार।</b>
			<b>डॉ. तोरन सिंह, संकायाध्यक्ष-प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग</b>
6.	2(च)	अध्यक्ष द्वारा कुलपति की संस्तुति पर ज्येष्ठता व चक्रीय क्रम में नामनिर्दिष्ट 2 (दो) आचार्य	<b>डॉ. ए.के. सिंह,</b> प्रो. संबद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
7.	2(छ)	वित्त अधिकारी	<b>सी.ए. रिचा भगत</b> वित्त अधिकारी, प.वि.वि. हरिद्वार।
8.	2(ज)	कुलसचिव-सदस्य सचिव	<b>डॉ. दीपेश कुमार सक्सेना, कार्यवाहक कुलसचिव प.वि.वि।</b>